न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 10/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2019/00053

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवर सिंह पिता शेरसिंह खरवड़, निवासी काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती नाति पत्नी भँवरसिंह खरवड़, निवासी निवासी काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
3. श्री लक्ष्मण सिंह पिता नवलसिंह खरवड़, निवासी काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* *निर्णय* *

दिनांक 29-01-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार गोगुंदा, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा काछबा, पटवार मण्डल काछबा, तहसील गोगुंदा की आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि भंवरसिंह पिता शेरसिंह, नाती पत्नी भंवरसिंह, लक्ष्मण सिंह पिता नवलसिंह खरवड़ सा.देह गैर खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। विपक्षीगण को यह आवंटन दिनांक 15.12.2004 को गैर खातेदारी हक से किया गया एवं आवंटित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा कभी काश्त नही की गई, जो आवंटन शर्तो का उल्लंघन है। मौके पर उक्त आराजी पर पक्का पशुघर बना हुआ है एवं टीनशेड लगे होकर पशु बंधे हुए है। इस प्रकार आवंटन शर्तो की पालना न करने से विपक्षीगण के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन खारिज किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री कुलदीप शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि उक्त आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटित भूमि के विपक्षीगण खातेदारी काश्तकार हो चुके है। वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:11 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन उक्त भूमि मगरीली एवं अनुपजाऊ थी, जिसे आवंटन उपरान्त विपक्षीगण ने भारी लागत लगाकर कृषि एवं पशुपालन हेतु उपयोगी बनाया है। वक्त आवंटन प्रार्थी तहसीलदार स्वयं आवंटन के समय मौजूद थे एवं आवंटन की उन्हें पूर्ण जानकारी थी। आवंटन के 15 वर्ष पश्चात जानबूझकर प्रार्थी द्वारा गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। विपक्षीगण को आवंटित भूमि के कुछ हिस्से मे पशुघर बना हुआ है, जिसमे विपक्षीगण के पशु बंधते हैं एवं शेष भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग मे ली जाती है। आवंटन मे विपक्षीगण द्वारा कोई मिसरिप्रजन्टेशन नही किया है। मात्र राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं मयाद के बिंदु पर भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय से आवंटन से संबधित मूल पत्रावली संख्या 116/2004 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारंभ करते हुये राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि मौजा काछबा, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने से विपक्षीगण आज भी गैर खातेदार के रूप मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। ऐसी स्थिति मे उक्त आवंटन को निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षीगण के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे।

विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, नियमानुसार भूमि का आवंटन होना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना, आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजन्टेशन न होना, खातेदार काश्तकार होना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि आवंटन उपरान्त विपक्षीगण द्वारा भारी लागत लगा कर भूमि को कृषि एवं पशुपालन योग्य बनाया है। आवंटन के इतने लंबे समय पश्चात तहसीलदार द्वारा जानबूझकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे सव्यय खारिज किया जावे। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

- आर.आर.डी. 2018 पृष्ठ 479 (एच.सी.)
- आर.आर.टी. 2008 (1) पृष्ठ 610 (एच.सी.)
- डी.एन.जे. (राज.) 1999 पृष्ठ 509
- आर.बी.जे 2019 पृष्ठ 77

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, आवंटन पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदन करने पर तहसीलदार द्वारा जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर मौजा काछबा, तहसील गोगुंदा की आराजी संख्या 1868

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 14:35:11 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.0200 हेक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, विधायक, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया नही पाया जाता है, किन्तु आवंटन के पश्चात् खसरा गिरदावरी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर खातेदार (आवंटी) द्वारा कब्जा काश्त किया जाना प्रकट नही होता है अर्थात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी है, जिसके फलस्वरूप उक्त आराजी पर आवंटीगण का नाम आज भी गैर खातेदारी हक से दर्ज होना खसरा गिरदावरी एवं नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा नही होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर हम विपक्षीगण को आवंटित कथित आराजी पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन, आवंटन शर्तो की पालना के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार गोगुंदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण के पक्ष मे मौजा काछबा, तहसील गोगुंदा की आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 15.12.2004 को आवंटन शर्तो की पालना एवं कब्जा काश्त के अभाव में खारिज किया जाता है तथा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:11 IST
Reason: SelfAttested